

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भवन प्रकोष्ठ एवं नियोजन व वास्तुकला विभाग
मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर 8, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर

पत्र संख्या: नोएडा/मु0वा0नि0/2019..256

दिनांक 30-3-2019

M/s Valuent Infra Developers Pvt. Ltd.
GH-16, Sector-75
Noida-201301

विषय:- उप विभाजित भूखण्ड सं0 जी0एच0-16, सेक्टर-75, नोएडा के क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में।

भूखण्ड सं0 जी0एच0-16, सेक्टर-75, में क्रय योग्य एफ0ए0आर0 अनुमन्य किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने विषयक अपने पत्र दिनांक 25.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा द्वारा स्वीकृति आदेश दिनांक 29.05.2019 द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ सैद्धान्तिक रूप से एफ0ए0आर0 क्रय करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

1. आवंटन के समय अनुमन्य एफ0ए0आर0 2.75 के सापेक्ष में 3.5 एफ0ए0आर0 की स्वीकृति प्रदान की जायेगी जिसका विवरण आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष में निम्नानुसार है:-

अ) आवंटित भूमि का क्षेत्रफल	= 20,000.00 वर्ग मी0
ब) आवंटन के समय अनुमन्य एफ0ए0आर0 2.75	= 55,000.00 वर्ग मी0
स) अनुमन्य क्रय योग्य अतिरिक्त एफ0ए0आर0 0.75	= 15,000.00 वर्ग मी0
प्रस्तावित क्रय योग्य एफ0ए0आर0	= 2,441.44 वर्ग मी0

2. क्रय योग्य एफ0ए0आर0 नोएडा भवन विनियमावली 2010 के अध्याय-7 प्रस्तर-28.2 में उल्लेखित नियम व शर्तों के अधीन होगी प्रस्तर सं0-28.2 (ix) के अनुसार संदर्भित परियोजना में अनुमन्य घनत्व 1650+5% पी0पी0एच0 अनुमन्य होगा।

3. हरित क्षेत्र/वृक्षारोपण, भू-जलदोहन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भूमि खुदाई, पर्यावरणीय प्रभाव के अन्य प्राविधानों आदि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी/अभिकरण/न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के अधीन ही क्रय योग्य एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा।

4. अन्य प्राविधान उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली-2010/शासन के आदेश/निर्देशों(अध्यावधिक एवं यथा संशोधित) के अनुसार लागू होंगे।

5. प्राधिकरण में लागू नोएडा भवन विनियमावली-2010 के अनुसार स्वीकृति से पहले दस्तावेज सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा।

6. आवंटी संख्या उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं रेरा के सभी प्राविधानों हेतु बाध्य है।

7. अतिरिक्त एफ0ए0आर0 के क्रम में पार्किंग का प्राविधान परिसर के अन्दर करना होगा।

8. ग्रुप हाऊसिंग (लेखा विभाग) से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर जमा कराना होगा।


9. वर्तमान में कय योग्य एकडएडआर का सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित है इनकी माननीय न्यायालयों द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उन्हें आवंटनी संस्था अनुपालन हेतु बाध्य होगा।
10. हरित क्षेत्रफल का प्राविधान नोएडा भवन विनियमावली को अनुसार करना होगा।

प्रस्तावित कय योग्य एकडएडआर हेतु निम्नवत गणानामुसार धनराशि देय होगी।

अनुमान्य कुल एकडएडआर @ 3.5	= 70,000.00 वर्ग मी०
(अधिसूचना दिनांक 27.03.15 के अनुसार)	= 2,441.44 वर्ग मी०
प्रस्तावित कय योग्य एकडएडआर का क्षेत्रफल	= ₹० 76060 प्रति वर्ग मी०
वर्तमान भूमि की दर	= 0.60
कय योग्य एकडएडआर हेतु फीकर	= ₹० 3,18,33,392/-
कय योग्य एकडएडआर हेतु देय धनराशि	(तीन करोड़ अठराह लाख सेतीस हजार तीन सौ बानवे)
देय स्वीकृति शुल्क	= ₹० 7,93,170/-
	(सात लाख त्रिंशद्वे हजार एक सौ सत्तर)
कुल देय राशि	= ₹० 3,26,26,562/-
	(तीन करोड़ छबीस लाख छबीस हजार पंच सौ बासठ)

उपरोक्त अनुसार अंगणित धनराशि का भुगतान एवं समस्त औपचारिकताएँ 30 दिनों के अन्दर पूर्ण करावे, तदोपरंत अंतिम कार्यवाही की जायेगी।

- प्रतिलिपि: 1. वित्त नियंत्रक, नोएडा को अवलोकनार्थ।
2. विशेषकार्यधिकारी (सुप हाउसिंग) को सूचनाार्थ।


महाप्रबन्धक(नियोजन)
नोएडा
एक नो. 15
5 मार्च 2015

महाप्रबन्धक(नियोजन)
नोएडा